

Order Sheet [Contd]

Date of
Order or
Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

RCA

Case No.

0.12.2025

अपीलार्थीगण अनुपस्थित।

प्रतिअपीलार्थी कं-14 हब्बु खां द्वारा श्री भारत शर्मा, कमांक-01 के वारिसान कं-02,03 एवं प्रतिअपीलार्थी कं-02 के वारिस कं-03,05 एवं 06 तथा प्रतिअपीलार्थी कं-03,04,05 द्वारा श्री रूपेश यादव अधिवक्ता उपस्थित।

प्रतिअपीलार्थी कं-6 फत्तीबाई मृत।

प्रतिअपीलार्थी कं-09,10,11 द्वारा श्री सुभाष कुंडल अधि. उप.

प्रतिअपीलार्थीगण-4-हाजराबी, 5-कल्लीबाई, 7-मेनाबाई, 12-सकीनाबाई एवं 15-म0प्र0शासन, पूर्व से एकपक्षीय।

प्रतिअपीलार्थी क.2 के वारिसान क.02 जुलेजा, 4 भूरीबाई, पूर्व से एकपक्षीय।

प्रकरण प्रतिअपीलार्थी कं-01 के वारिस कमांक-13 की प्रकरण उपस्थिति हेतु नियत है।

प्रकरण अपीलार्थी की उपस्थिति हेतु कुछ देर बाद पेश हो।

(अमित निगम)
द्वितीय जिला न्यायाधीश
कन्नोद, जिला-देवास म.प्र.

पुनश्च:-1:30 बजे

अपीलार्थीगण अनुपस्थित।

प्रतिअपीलार्थी कं-14 हब्बु खां द्वारा श्री भारत शर्मा, कमांक-01 के वारिसान कं-02,03 एवं प्रतिअपीलार्थी कं-02 के वारिस कं-03,05 एवं 06 तथा प्रतिअपीलार्थी कं-03,04,05 द्वारा श्री रूपेश यादव अधिवक्ता उपस्थित।

प्रतिअपीलार्थी कं-6 फत्तीबाई मृत।

प्रतिअपीलार्थी कं-09,10,11 द्वारा श्री सुभाष कुंडल अधि. उप.

प्रतिअपीलार्थीगण-4-हाजराबी, 5-कल्लीबाई, 7-मेनाबाई, 12-सकीनाबाई एवं 15-म0प्र0शासन, पूर्व से एकपक्षीय।

प्रतिअपीलार्थी क.2 के वारिसान क.02 जुलेजा, 4 भूरीबाई, पूर्व से एकपक्षीय।

प्रकरण प्रतिअपीलार्थी कं-01 के वारिस कमांक-13 की प्रकरण उपस्थिति हेतु नियत है।

प्रकरण अपीलार्थी की उपस्थिति हेतु कुछ देर बाद पेश हो।

(अमित निगम)
द्वितीय जिला न्यायाधीश
कन्नोद, जिला-देवास म.प्र.

पुनश्च:-4:30 बजे

अपीलार्थीगण अनुपस्थित।

प्रतिअपीलार्थी कं-14 हब्बु खां द्वारा श्री भारत शर्मा, कमांक-01 के वारिसान कं-02,03 एवं प्रतिअपीलार्थी कं-02 के वारिस कं-03,05 एवं 06 तथा प्रतिअपीलार्थी कं-03,04,05 द्वारा श्री रूपेश यादव अधिवक्ता उपस्थित।

प्रतिअपीलार्थी कं-6 फत्तीबाई मृत।

प्रतिअपीलार्थी कं-09,10,11 द्वारा श्री सुभाष कुंडल अधि. उप.

प्रतिअपीलार्थीगण-4-हाजराबी, 5-कल्लीबाई, 7-मेनाबाई,

12- सकीनाबाई एवं 15-म0प्र0शासन, पूर्व से एकपक्षीय।

प्रतिअपीलार्थी क.2 के वारिसान क.02 जुलेजा, 4 भूरीबाई, पूर्व से एकपक्षीय।

प्रकरण प्रतिअपीलार्थी कं-01 के वारिस कमांक-13 की प्रकरण उपस्थिति हेतु नियत है।

अपीलार्थी की बार-बार पुकार लगवाई गई किंतु अपीलार्थी व अपीलार्थी के अधिवक्ता अनुपस्थित है। उनके द्वारा की उपस्थिति हेतु विगत कई पेशियों से तलवाना अदा नहीं किया गया। पूर्व पेशी दिनांक पर भी उनके अधिवक्ता व अपीलार्थी अनुपस्थित थे, जिससे दर्शित होता है कि अपीलार्थी को स्वयं ही प्रकरण में कोई रुचि नहीं है।

व्य.प्र.सं. के आदेश 41 नियम 7 में उपलब्धित है कि जहाँ नियत दिनांक को या किसी अन्य दिनांक को जिसके लिए सुनवाई स्थगित की गई है, अपीलार्थी अपील की सुनवाई होने पर उपसंजात नहीं होता है वहा न्यायालय अपील खारिज करने का आदेश कर सकेगा।

वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी की बार-बार पुकार लगाने पर भी उपस्थित नहीं है। अतः व्य.प्र.सं. के आदेश 41 नियम 17 के अंतर्गत अपीलार्थी की अनुपस्थिति में अपील निरस्त की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ मूल व्यवहार वाद प्रकरण 48ए/2016 यासीन वि0 उमर खॉ विचारण न्यायालय को अविलंब प्रेषित किया जावे।

प्रकरण में व्यय तालिका बनाई जावे।

प्रकरण समाप्त।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी सी.आई.एस. 3.2 में अंकित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार में जमा किया जावे।

(अमित निगम)

द्वितीय जिला न्यायाधीश
कन्नोद, जिला-देवास म.प्र.

पुनश्च:-

Order Sheet [Contd]

PCA

Case No. 25 ... of 2024 ...

e of
r or
ding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of
Parties or
Pleaders where
necessaryव्यय तालिका

क्रमांक	विवरण	अपीलार्थी	प्रतिअपीलार्थी
		खर्च	खर्च
1	अपील मेमो	772	-
2	वकालतनामा	10	20
3	अधिवक्ता शुल्क	प्रमाणित नहीं	प्रमाणित नहीं
4	आवेदन/शपथ पत्र	10	0
5	प्रमाणित प्रतिलिपि	52	-
6	तलवाना फार्म	39	-
	योग	883	20

मूल व्यवहार वाद प्रकरण 48ए/2016 यासीन वि० उमर खॉ अधीनस्थ न्यायालय श्री कुंदन कछवाहे, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कन्नौद के प्रस्तुतकार श्रीमती करिश्मा चौहान को सौंपा जाकर आदेश पत्रिका के पार्श्व भाग पर पावती अंकित कराई गई।

(अमित निगम)

द्वितीय जिला न्यायाधीश
कन्नौद, जिला-देवास म.प्र.

सुनील कुमार
